प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-31 मार्च, 2016

विषय- जिला कारागार प्रतापगढ़ एवं गोरखपुर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 02-02 नग मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु अग्रिम धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3947/आधु-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक 11 फरवरी2016 एवं पत्र संख्या-5690/आधु-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक 25 फरवरी, 2016 के संदर्भ में संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार प्रतापगढ़ एवं गोरखपुर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 02-02 नग मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/2016/257/22-4-16-50(7नि0)99टीसी, दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा रू0 1,21,13,370/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिससे मैसर्स इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड(ईसीआईएल) को उपलब्ध कराया जाना है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त महामहीम श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार प्रतापगढ़ एवं गोरखपुर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 02-02 नग मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 1,21,13,760/-(रूपया एक करोड़ इक्कीस लाख तेरह हजार सात सौ साठ मात्र) मैसर्स इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड(ईसीआईएल) को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उक्त धनराशि के आहरण में से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-155/दस-2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-40/2016/406(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, बी-2 डीडीए शापिंग काम्प्लेक्स, रिंग रोड नारायणा, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।